

3/यो0-35/2018
बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश
(संख्या /2018-19)

प्रेषक,

संयुक्त निदेशक (मु0),
समाज कल्याण विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक -.....

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वधार गृह योजना के लिए प्रथम अनुपूरक अन्तर्गत केन्द्रांश मद में 398.54 लाख रु0 (तीन करोड अन्ठान्वे लाख चौवन हजार) तथा राज्यांश मद में 265.69 लाख रु0 (दो करोड पैसठ लाख उनहत्तर हजार) अर्थात् कुल 664.23 लाख रु0 (छः करोड चौसठ लाख तेइस हजार) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग के पत्रांक 16 दिनांक 12.06.2018 द्वारा राज्य के 38 जिलों में स्वधार गृह योजना के संचालन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य परिवार में विवाद, अपराध, हिंसा, मानसिक दबाव, सामाजिक बहिष्कार अथवा वेश्यावृत्ति में धकेले जाने और नैतिक आपात स्थिति के कारण गृह विहीन महिलाओं को अस्थायी सुविधा उपलब्ध कराना है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वधार गृह योजना अन्तर्गत केन्द्रांश मद में 398.54 लाख रु0 (तीन करोड अन्ठान्वे लाख चौवन हजार रु0) तथा राज्यांश मद में 265.69 लाख रु0 (दो करोड पैसठ लाख उनहत्तर हजार रु0) अर्थात् कुल 664.23 लाख रु0 (छः करोड चौसठ लाख तेइस हजार रु) मात्र के व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार दी जाती है :-

(राशि रु. लाख में)

क्र	योजना का नाम एवं विपत्र कोड	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	मूल बजट उपबन्ध
केन्द्रांश की राशि				
1	स्वधार गृह योजना	(51-2235021030229)	9445	398.54
योग:-1 (तीन करोड अन्ठान्वे लाख चौवन हजार)				398.54

-2-

राज्यांश की राशि				
2	स्वधार गृह योजना	(51-2235021030329)	9445	265.69
योग:-2 (दो करोड पैसठ लाख उनहत्तर हजार)				265.69
कुल (योग 1+2) :- (रु. छः करोड चौसठ लाख तेइस हजार)				664.23

2. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी समाज कल्याण निदेशालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार, पटना है। निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना राशि की निकासी कर बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगे।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध समाज कल्याण निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98, पत्रांक 3758/वि0 दिनांक 31.05.17, पत्रांक 378/वि0 दिनांक 16.01.18, पत्रांक 354/वि0 दिनांक 28.03.18, पत्रांक 662/वि0 दिनांक 02.08.2018 तथा समय-समय पर निर्गमित आदेशों / परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।
5. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0-32/2017(खंड) के टिप्पणी पृष्ठ संख्या 18/टि0 पर दिनांक 20.08.2018 को माननीया मंत्री, सामाजिक कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।
6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0-32/2017(खंड) के टिप्पणी पृष्ठ संख्या 17/टि0 पर दिनांक 13.08.2018 को आंतरिक वित्त विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।

विश्वासभाजन

ह0/-

(विजय रंजन)

संयुक्त निदेशक (मु0)

जापांक- 3/यो0-35/2018

/...../दिनांक-

प्रतिलिपि -महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/सामाजिक कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला आयुक्त/सभी जिला आयुक्त एवं व्ययन पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, सक्षम, अपना घर, बेली रोड, पटना/सभी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/कोषांग/सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

संयुक्त निदेशक (मु0)

जापांक- 3/यो0-35/2018

/.....24...../दिनांक- 24/8/2018

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त निदेशक (मु0)